भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्याः 3160
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान के अंतर्गत जल विमान पहल

3160. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ान योजना के अंतर्गत चिह्नित जल विमान मार्गों का ब्यौरा क्या है और 2026 तक कितने मार्गों के शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कोविड-19 और एयरलाइन बंद होने के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण 114 उड़ान मार्ग बंद कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) खराब मौसम की स्थिति और परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण उड़ान रद्द होने के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक 3.0 (आरसीएस-उड़ान 3.0) के अंतर्गत वॉटर एयरोड्रोमों से सीप्लेन परिचालन आरंभ किए हैं। बोली प्रक्रिया के विभिन्न दौरों के दौरान, चिह्नित वॉटर एयरोड्रोमों को जोड़ते हुए 30 वैध सीप्लेन मार्ग अवार्ड किए गए हैं।

(ख) और (ग): अब तक, 129 आरसीएस मार्गों को 3 वर्ष की अवधि से पहले विभिन्न कारणों से बंद कर दिया गया है, जैसे कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दों के कारण कई विमानों की ग्राउंडिंग, एयरलाइनों का बंद होना और कुछ मार्गों पर यात्रियों की कम मांग।

इनमें से वर्तमान में 24 मार्ग 'उड़ान योजना' के बाहर, बिना किसी व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) या रियायतों के वाणिज्यिक रूप से परिचालित किए जा रहे हैं तथा 28 मार्ग इस योजना के अंतर्गत परिचालित हैं, जिन्हें बोली प्रक्रिया के आगामी दौरों में अन्य एयरलाइनों को अवार्ड किया गया है। इसके अतिरिक्त, 39 मार्ग आरसीएस प्रावधानों के तहत पुनः बोली प्रक्रिया के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों संपर्क हवाईअड्डों पर पहले से ही सेवाएं उपलब्ध हैं, जो आरसीएस के तहत विकसित हवाईअड्डों से कई मार्गों को कार्यशील करने में

योजना के तहत किए गए निरंतर प्रयासों और प्रगति को दर्शाता है। जिन मार्गों को पहले अवार्ड किया जा चुका है, परंतु उनमें परिचालन आरंभ नहीं किया गया या जारी नहीं रखा जा सका, उन्हें 'उड़ान' के आगामी दौरों के अंतर्गत पुनः बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

(घ): 'उड़ान' योजना के उड़ानों सहित उड़ान रद्द होने की स्थिति में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने "बोर्डिंग से इनकार किए जाने, उड़ानों के रद्द होने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" शीर्षक वाली नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर), खंड-3, श्रृंखला-एम, भाग-IV जारी की है।

इसके अलावा, खराब मौसम की स्थिति में कम दृश्यता के कारण उड़ानों के रद्दकरण को कम करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के हवाईअड्डों पर विशेष दृश्य उड़ान नियमावली, उपकरण उड़ान नियमावली और अपेक्षित दिक्चालन निष्पादन प्रक्रियाओं जैसी प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रहा है।

******